एन. के. बाफना

बनाम

यूनियन आफ इण्डिया

मई 14, 1992

एस. रंगनाथन, वी. रामास्वामी, योगेश्वर दयाल, न्यायाधिपतिगण

भारत का संविधान, 1950

अनुच्छेद 21, 22 व 32--निवारण निरोध-निरोध आदेश-क्या निरोध पर आदेश की सेवा से पहले भी चुनौती दी जा सकती है-राज्य के दावे और नागरिक के मौलिक अधिकार को संतुलित किया जाना।

विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974:

धारा 3(1)--कम्पनी द्वारा आयातित और घोषित किया गया सामान सीमा शुल्क प्राधिकारी शुल्क एवं निकासी के मुल्यांकन के बाद सीमा शुल्क के ताले और चाबी के तहत सीमा शुल्क विशेषाधिकार गोदामों में रखा जाता है, प्रबंध निदेशक द्वारा हटाया जाना या हटाने के लिये उकसाना, उचित अधिकारी की अनुमति के बिना, क्या तस्करी का गठन हुआ-

हिरासत आदेश की वैधता।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962:

धारा 2(39), 2(43), 23, 49, 59, 72 और 111(जे) और 125(2)--वस्तुओं का आयात शुल्क के लिये निर्धारित और गोदाम में ताले व चाबी में रखी गई वस्तुयें-सीमा शुल्क अधिकारी को बिना शुल्क भुगतान किये माल को गुप्त रूप से हटाना-क्या वह 'तस्करी -क्या उक्त माल जब्ती के लिये उत्तरदायी है-माल का आयात कब पूर्ण हो-क्या यह अधिकारियों के लिये खुला है कि वे माल को जब्त करें या उनके द्वारा देय शुल्क एकत्र करें।

याचिकाकर्ता एक कम्पनी का प्रबंध निदेशक था, जो प्लास्टिक के सामान का निर्माण एवं उत्पादन के व्यवसाय में लगा हुआ है। कम्पनी ने कुछ सामाग्रियों का आयात किया और इसके बाद शुल्क मूल्यांकन के पश्चात् सीमा शुल्क विशेषाधिकार गोदाम के लिये सामान को मंजूरी दे दी गई। शुल्क के मूल्यांकन के पश्चात् कम्पनी ने सामान का कुछ हिस्सा सामग्री शुल्क के भुगतान के बाद निकास कर दिया, सीमा शुल्क अधिकारी की देखरेख में विभिन्न तिथियों पर और शेष सामग्री गोदामों में ताला व चाबी के अन्तर्गत रखी गई थी। चाबी सीमा शुल्क अधिकारी के कब्जे में थी। कुछ समय बाद, सीमा शुल्क अधिकारियाें ने गोदामों में रखी

सामग्री में कमी पाई। इस क्रम में कुछ पूछताछ व कार्यवाही शुरू हुई व इन पूछताछ से याचिकाकर्ता को पता चला कि धारा 3(1) विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 के तहत उनके खिलाफ हिरासत का आदेश इस दृष्टि से पारित किया गया कि उसे माल की तस्करी में उकसाने से रोका जाये। बिना आदेश के इंतज़ार किये और हिरासत के आधार, उसपर तामील हुए, याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें हिरासत के आदेश को चुनौती दी गई। प्राधिकारी की ओर से पुष्टि या खण्डन करते हुए कोई जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया। रिट याचिका में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में न ही वे खुलासा करने आगे आये, न ही प्रस्तावित हिरासत के आधारों को, यदि कोई आधार हो, इंगित करने के लिये भी आगे आये। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि याचिका में जिन तथ्यों का खुलासा किया गया है, उससे मामला प्रथम दृष्टया अधिनियम में परिभाषित 'तस्करी के दायरे में आता है।

अपील पर डिविजन बैंच ने कहा कि याचिका में उल्लेखित परिस्थितियां, 'तस्करी गठित करने के लिये पर्याप्त नहीं है। हालांकि अपील इस दृष्टिकोण से खारिज कर दी गई कि हिरासत के आधार के बिना हिरासत के आदेश की वैधता या अन्यथा या कोई भी घोषणा कि प्रश्नगत

आदेश जिस अधिनियम के तहत प्रस्तावित किया गया था, में पारित नहीं किया गया या गलत उद्देश्य से पारित किया गया या अस्पष्ट, बाहरी या अप्रासंगिक आधारों पर पारित किया गया, अदालतों के लिये इसमें जाना उचित नहीं होगा।

इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका मे याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने माना है कि गतिविधियां 'तस्करी की श्रेणी मेें नहीं आने के कारण निरोध आदेश को तुरन्त रद्द कर देना चाहिये। प्रश्नगत माल के संबंध में अधिकारियों द्वारा सीमा शुल्क मूल्यांकन किया गया और इसके लिये एक आदेश दिया गया कि सीमा शुल्क क्षेत्र से उनकी निकासी के लिये एक बाॅण्ड का निष्पादन,इस बाबत दिया जाये कि जो कि शुल्क के उचित भुगतान बाबत् व याचिकाकर्ता 'तस्करी या उकसाने का दोषी नहीं था। धारा 111(जे) का दायरा यही तक सीमित रखा जाना चाहिये कि माल शुल्क योग्य था और कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया था और उन्हें उस गोदाम से हटाया, जहां उन्हें रखा गया था। शुल्क के मूल्यांकन के लंबित रहने के दौरान आयात का संचालन एक बार माल पर सीमा शुल्क का मूल्यांकन कर लेने के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया और 'तस्करी का मतलब ऐसे माल के संबंध मेें यह नहीं हो सकता कि सीमा शुल्क क्षेत्र की अवधारणा से निकास कर दिया, जहां माल गोदाम से निकाला गया था, जिसमें वे धारा

59 के तहत रखे गये थे, बिना संबंधित अधिकारियों के ही अनुमति से। ऐसे में एक मात्र परिणाम हो सकता है कि धारा 72 के तहत कार्यवाही की गई और यह हो सकता है कि धारा 125 के तहत जुर्माना नहीं लगाया गया और ऐसे सामान जब्ती के लिये उत्तरदायी नहीं है और जिसके उल्लंघन पर कोई जुर्माना नहीं हो सकता व उक्त जब्ती को उचित ठहराने के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिये। एक बार यदि कस्टम प्राधिकारी द्वारा माल को मंजूर कर लिया जाता है तो उसे जब्त नहीं किया जा सकता, जब तक कि मंजूरी के आदेश को सुसंगत प्रक्रिया द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता। विशेष अनुमति को खारिज करते हुए इस न्यायालय ने निधार्रित किया कि

1- अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि, निवारक हिरासत के मामले में भी, प्रस्तावित बंदी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह हिरासत के आदेश को चुनौती देने से पहले तब तक इंतजार करे, जब तक कि उसे हिरासत का आदेश नहीं मिल जाता। यह सच है कि भारत का संविधान, जो निवारक हिरासत की अनुमति देता है, बंदी पर नजरबंदी आदेश तामील होने के बाद की अवधि से हिरासत में लेने वाले अधिकारियों को एक निर्धारित सीमा के भीतर हिरासत के आधार पर सेवा प्रदान करने की आवश्यकता होती है। इसमें बंदी पर हिरासत आदेश की तामील से पहले बंदी को पहले से अवगत कराना हिरासत के आधार के किसी भी खुलासे की परिकल्पना नहीं की गई है। जिन आधारों पर उसे हिरासत में

लेने का प्रस्ताव है, वे कानून के मूल उद्देश्य को ही विफल कर सकते हैं। दूसरी ओर, इस बात पर जोर देना कि हिरासत के किसी भी आदेश को तब तक चुनौती नहीं दी जा सकती, जब तक कि कुछ खास स्थितियां में उसके अनुसरण में वास्तविक हिरासत न हो जाए, प्रस्तावित हिरासत में लिए गए लोगों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार, राज्य के परस्पर विरोधी दावों और एक नागरिक के मनोरंजक-जी-मनोवैज्ञानिक अधिकार को समेटने की आवश्यकता है और सीमाएं, यदि कोई हैं, तो उन्हें सटीक रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। (273 E-G)

अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार व अन्य बनाम श्रीमती अलका सुभाष गादिया एवं अन्य, 1991 (1) जे.टी. (एस.सी.) 549 सन्दर्भित।

2.1 कंपनी की गतिविधि तस्करी की श्रेणी में आएगी और याचिकाकर्ता की गतिविधि तस्करी के लिए उकसाने वाली होगी, यदि उन्होंने हटा दिया था, या कारण बनाया था या माल को संबंधित अधिकारी/प्राधिकारी की अनुमित के बिना सीमा शुल्क विशेषाधिकार गोदाम से को हटाने के लिए उकसाया। प्रस्तावित हिरासत के आदेश को विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के लिए पूरी तरह से असंगत आधार पर आगे बढ़ने के लिए नहीं कहा जा सकता है और इसे उस अधिनियम के तहत नहीं किए गए

आदेश के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है जिसके तहत इसे कथित तौर पर बनाया गया है और न ही यह कहा जा सकता है कि आधार हिरासत के मामले अस्पष्ट, अप्रासंगिक या अधिनियम के उद्देश्य या प्रावधानों से अप्रासंगिक हैं। (280 G-H, 281 A)

2.2 तब कोई तस्करी नहीं हो सकती, यदि माल गोदाम के लिए किसी याचिकाकर्ता द्वारा नहीं निकाला गया हो। बल्कि लेकिन याचिकाकर्ता के सुझाव के अनुसार कोई अन्य या संरक्षक अधिकारियों द्वारा निकाला गया, लेकिन यह तथ्य का प्रश्न होगा और वर्तमान तर्क के प्रयोजनों के लिए यह मानना होगा कि माल को याचिकाकर्ता या कंपनी द्वारा उचित अधिकारी की बिना अनुमति के गोदाम से हटा दिया गया है। ऐसी स्थिति में, संबंधित धाराओं का एक सरल पाठ प्रथम दृष्टया यह कहने के लिए पर्याप्त है कि, वर्तमान मामले में, कंपनी द्वारा तस्करी की गई है, और याचिकाकर्ता द्वारा तस्करी को बढ़ावा दिया गया है। तथ्यों के व्यापक परिप्रेक्ष्य और प्रासंगिक क़ानून में विशेष परिभाषा खंडों पर यह कहना मुश्किल है कि इस मामले में प्रस्तावित हिरासत क़ानून विधिक प्रावधानों से पूरी तरह बाहर है। यदि प्रथमदृष्ट्या, तस्करी या तस्करी के लिए उकसाने का मामला सामने आता है, तो सक्षम प्राधिकारी हिरासत आदेश जारी करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसे बाद में उपलब्ध किसी भी आधार पर गुण-दोष के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। लेकिन यह नहीं कहा जा

सकता कि यह कार्रवाई क़ानून का घोर उल्लंघन है या यह आदेश उस क़ानून के प्रावधानों के तहत नहीं बनाया गया है जिसके तहत इसे कथित तौर पर जारी किया गया है। (277 A-D)

3.1 "शुल्क योग्य वस्तुओं" को "शुल्क योग्य वस्तुओं" तक सीमित करने का कोई औचित्य नहीं है, जिन पर अभी तक शुल्क का निर्धारण नहीं किया गया है। खंड में संदर्भित "वेयरहाउस" का सुझाव एक गोदाम के रूप में समझा जाना चाहिए, जहां धारा 49 के तहत सामान निकाला जाता है, लेकिन धारा 59 के अनुसरण में जिन वस्तुओं को लिया जाता है, वो मतलब लेना आधारहीन है और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2(43) में निर्धारित उस अभिव्यक्ति की व्यापक परिभाषा को नजरअंदाज करता है। (278 D-E)

वाणिज्यिक कर उपायुक्त बनाम मैसर्स केलटेक्स(इंडिया) लिमिटेड, एआईआर 1962 मद्रास 298 एवं भारतीय संघ बनाम जैन शुद्ध वनस्पति लिमिटेड, 1992 -1 स्केल 34 में 10 ई.एल.टी.43 (दिल्ली) सन्दर्भित।

3.2 तस्करी की सामान्य अवधारणा में भी दो तत्व शामिल हैं: एक, उन वस्तुओं को भारत में लाना जिनका आयात निषिद्ध है; और दो, उन वस्तुओं को देश की व्यापार धारा में लाना, जिनके आयात की अनुमति उन सीमा शुल्कों का भुगतान किए बिना दी जाती है, जिन पर वे प्रभार्य

हैं। हमारे विचार में, दूसरी घटना न केवल वहां हो सकती है जहां शुल्क के निर्धारण से बचकर कोई भूमि आयात हो रहा है, बल्कि वहां भी हो सकता है जहां निर्धारित शुल्क के भुगतान के बिना गुप्त रूप से हटाया जा रहा है। ऐसे मामले में जहां माल धारा 49 के तहत गोदाम में रखा गया है और उन्हें गुप्त रूप से हटा दिया गया है, वहां 'तस्करी' होगी क्योंकि उस पर देय शुल्क पूरी तरह से चुरा लिया गया है। लेकिन ऐसे मामले में भी जहां माल पर शुल्क लगाया जाता है और उसे धारा 59 के तहत गोदाम में रखने की अनुमति दी जाती है, वहां भी गुप्त तरीके से हटाने से शुल्क में नुकसान का परिणाम हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 72 में शुल्क की वसूली और शुल्क के उचित भुगतान को सुरक्षित करने के लिए दिए गए बांड को जब्त करने का प्रावधान है, लेकिन यदि माल बिना अनुमति के ले जाया जाता है तो यह हमेशा राजस्व के लिए पर्याप्त कवर नहीं हो सकता है। (278 F-H, 279 A)

3.3 केवल यह तथ्य कि शुल्क के निर्धारण के बाद माल को स्पष्ट रूप से गोदाम में भेज दिया गया है, ऐसे मामले में भी तस्करी की अवधारणा की प्रयोज्यता को नहीं रोकता है। एक अर्थ में, आयात को कुछ उद्देश्यों के लिए पूर्ण कहा जा सकता है, उदाहरण के लिए बिक्री कर सीमा शुल्क बैरियर पर कर्तव्यों के मूल्यांकन के बाद उनकी निकासी की गई, लेकिन यह वास्तविक अर्थों में पूर्ण नहीं है। यहां तक कि जिस गोदाम में

माल को धारा59 के तहत हटाने की अनुमति है, जो कि सीमा शुल्क अधिकारियों को ताले व चाबी में एक परिसर है, एक अर्थ में, सीमा शुल्क क्षेत्र का एक विस्तार है। घरेलू उपभोग या निर्यात के लिए वहां से सामान निकाला जा सकता है, केवल शुल्क के भुगतान के बाद जब तक ऐसा नहीं किया जाता, देय शुल्क से राज्य को होने वाली हानि का जोखिम हमेशा बना रहता है, इसलिए जिस दृष्टि से हमारा संबंध है, उस दृष्टि से आयात तब तक पूरा नहीं कहा जा सकता। ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमें धारा 111 (जे) को रीड डाउन करना चाहिए जो केवल इस स्थिति को पहचानता है। (279 B-D)

उप सी.सी.टी. बनाम कैल्टेक्स (इंडिया) लिमिटेड, एआईआर 1962 मद्रास 298 सन्दर्भित।

3.4 किसी विशेष कार्य या चूक के परिणाम प्रश्नगत वैधानिक प्रावधानों पर निर्भर होंगे। हो सकता है कि याचिकाकर्ता के कृत्य का वर्तमान मामले में पहले की तरह धारा 125 लागू नहीं हो सकती है, लेकिन अब 27.12.1985 से लागू होकर धारा 125(2) के मद्देनजर जुर्माना लगाया जाएगा। यह भी धारा 72 को आकर्षित कर सकता है लेकिन यह, हालांकि धारा 111 (जे) की व्याख्या के लिए निर्णायक नहीं हो सकता है। (279 G)

` शेवपूजनराय इंद्रासनराय लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क और अन्य

कलेक्टर, (1959) एससीआर 821 सन्दर्भित।

3.5 भले ही कोई यह मान ले कि धारा 72 वहां लागू नहीं होगी जहां सामान जब्त किया गया है, स्थिति केवल यहीं तक पहुंचती है, कि अधिकारियों को सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, एक तरफ सामान को जब्त करने या दूसरी तरफ देय शुल्क इकट्ठा करने के बीच चयन करना होगा। धारा 111 (जे) की भाषा को ध्यान में रखते हुए, वकील से सहमत होना संभव नहीं है कि, ऐसे मामले में, सामान केवल इसलिए जब्त करने योग्य नहीं है क्योंकि धारा 72 का एक वैकल्पिक तरीका उनके लिये उपलब्ध है। धारा 111 (जे) की भाषा के अनुसार माल जब्त किया जा सकता है, निकासी के आदेश के प्रभाव से पीछे नहीं हटता है या उसकी अनदेखी नहीं करता है, जैसा कि उस मामले में होता है। यह निकासी के तथ्य को स्वीकार करता है और इस आधार पर आगे बढ़ता है कि माल को धारा 59 के तहत सही ढंग से मंजूरी दे दी गई है, धारा 59 के अर्थ के तहत गोदाम से गुप्त रूप से हटा दिया गया है।

भारतीय संघ बनाम जैन शुद्ध वनस्पति लिमिटेड, 1992 -1 स्केल 34 में 10 ई.एल.टी.43 (दिल्ली) एवं जैन शुद्ध वनस्पति लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, (1982) 10 ई.एल.टी. 43(दिल्ली) सन्दर्भित।

सिविल अपीलीय न्याय निर्णयः विशेष अवकाश याचिका (सी) 1992 का सं. 578

कलकत्ता उच्च न्यायालय के 06.04.1992 दिनांकित निर्णय और आदेश से 1992 के F.M.A.T सं 914

ए.के.सेन, प्रदीप तरफदार, बी.एन. सिंघवी (मेसर्स के लिए) स्वरूप जाॅन और क. याचिकाकर्ता के लिए।

उत्तरदाता के लिए ए. सुब्बा राव और परमेस्वरन।

न्यायालय का निर्णय दिया गया-

एस. रंगनाथन, न्यायाधिपति

याचिकाकर्ता एमआईएस ई.ए.पी. के प्रबंध निदेशक हैं। इंडस्ट्रीज लिमिटेड, प्लास्टिक यौगिकों, प्लास्टिक फिल्मों और शीटों और प्लास्टिक रसायनों के निर्माण और उत्पादन के व्यवसाय में लगी हुई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह उनकी जानकारी में आया है कि 1 जनवरी, 1992 को एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 की धारा 3 (1) के तहत उसे माल की तस्करी को बढ़ावा देने से रोकने की दृष्टि से उसकी हिरासत का निर्देश दिया गया है। एक प्रति, जिसे उक्त आदेश की प्रति बताया जा रहा है, रिकॉर्ड पर रखी गई है, हालांकि यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि

याचिकाकर्ता ने इसे कैसे लिया है। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को उपरोक्त आदेश के अनुसरण में उन्हें हिरासत में लेने से रोकने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। उक्त रिट याचिका के साथ-साथ उसकी अपील भी खारिज कर दी गई है। अतः वर्तमान विशेष अनुमति याचिका पेश की।

याचिकाकर्ता के अनुसार, हिरासत का आदेश सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा उसके खिलाफ शुरू की गई कुछ कार्यवाही के परिणामस्वरूप जारी किया गया है। उनका कहना है कि कंपनी ने 267.782 मीट्रिक टन इथाइल हेक्सानॉल (ईएचए) का आयात किया। इस कंसाइनमेंट को अनलोड किया गया था। अक्टूबर-नवंबर 1989 में ड्यूटी के मूल्यांकन के बाद कांडला बंदरगाह और उसके 24 टैंकरों को बंधुआ गोदामों में ले जाया गया। इस प्रकार सीमा शुल्क विशेषाधिकार गोदाम में रखे गए। रसायन को कंपनी ने शुल्क के भुगतान पर दिसंबर, 89 और अक्टूबर, 90 के बीच 175 मीट्रिक टन की निकासी की। कंपनी ने 204 मीट्रिक टन पी.वी.सी. का 2.5.90 को रेजिन से फ्रांस में आयात भी किया। इस खेप को कलकत्ता बंदरगाह पर उतार दिया गया और बंधुआ भंडारण के लिए मंजूरी दे दी गई। इसमें से 75 मीट्रिक टन पी.वी.सी. सीमा शुल्क अधिकारियों की देखरेख में 17.9.1990 और 8.11.1990 को शुल्क के भुगतान के बाद कंपनी द्वारा रेजिन को मंजूरी दे दी गई थी। याचिकाकर्ता

के अनुसार गोदामों पर ताला लगा हुआ था और चाबी सीमा शुल्क अधिकारियों के पास थी।

सितंबर 1991 में किसी समय सीमा शुल्क अधिकारियों को स्टॉक में 93.975 मीट्रिक टन पी.वी.सी. की कमी का पता चला और इसी तरह की कमी भी गोदाम में रखे ईएचए का पता चला। इसके बाद याचिकाकर्ता का कहना है कि पूछताछ के दौरान उसे पता चला कि अधिनियम के तहत उसके खिलाफ हिरासत का आदेश पारित किया गया था। आदेश और हिरासत के आधारों की प्रतीक्षा किए बिना, याचिकाकर्ता ने हिरासत के आदेश को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की।

अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि, निवारक हिरासत के मामले में भी, प्रस्तावित बंदी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह हिरासत के आदेश को चुनौती देने से पहले तब तक इंतजार करे, जब तक कि उसे हिरासत का आदेश नहीं मिल जाता। यह सच है कि भारत का संविधान, जो निवारक हिरासत की अनुमति देता है, बंदी पर नजरबंदी आदेश तामील होने के बाद की अवधि से हिरासत में लेने वाले अधिकारियों को एक निर्धारित सीमा के भीतर हिरासत के आधार पर सेवा प्रदान करने की आवश्यकता होती है। इसमें बंदी पर हिरासत आदेश की तामील से पहले बंदी को पहले से अवगत कराना हिरासत के आधार के किसी भी

खुलासे की परिकल्पना नहीं की गई है। जिन आधारों पर उसे हिरासत में लेने का प्रस्ताव है, वे कानून के मूल उद्देश्य को ही विफल कर सकते हैं। दूसरी ओर, इस बात पर जोर देना कि हिरासत के किसी भी आदेश को तब तक चुनौती नहीं दी जा सकती, जब तक कि कुछ खास स्थितियां में उसके अनुसरण में वास्तविक हिरासत न हो जाए, प्रस्तावित हिरासत में लिए गए लोगों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार, राज्य के परस्पर विरोधी दावों और एक नागरिक के मौलिक अधिकार को समेटने की आवश्यकता है और सीमाएं, यदि कोई हैं, तो उन्हें सटीक रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। ऐसा इस कोर्ट के हालिया फैसले ''अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार व अन्य बनाम श्रीमती अलका सुभाष गादिया एवं अन्य, 1991 (1) जे.टी. (एस.सी.) 549'' से हुआ है। कानून का वास्तविक प्रश्न जो उस मामले में अदालत के समक्ष विचाराधीन था, वह यह था कि क्या हिरासत में लिया गया व्यक्ति या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति बिना हिरासत में लिए या समर्पण किए बिना हिरासत आदेश को चुनौती देने का हकदार है और यदि हां तो किस प्रकार के मामलों में। इस प्रश्न के परिणाम स्वरूप, जो आकस्मिक प्रश्न था, उत्तर दिया जाना था कि क्या बंदी या उसकी ओर से याचिकाकर्ता हिरासत आदेश प्राप्त करने का हकदार है और वह आधार जिस पर हिरासत में लिया गया, उसे बंदी आदेश के अनुसार समर्पण करने से पूर्व प्राप्त करने का अधिकारी है। बंदी द्वारा आदेश का

पालन करने से पहले आदेश दिया जाता है। प्रथम प्रश्न पर न्यायालय को यह कहना था कि न्यायालय को आदेश निष्पादन से पूर्व किसी हिरासत आदेश के खिलाफ शिकायत पर सुनने का अधिकार है, जो कि केवल विरलतम मामलों में निम्न वर्णितानुसार इस्तेमाल होना चाहिये।

यह कहना सही नहीं है कि अदालतों के पास आदेश के निष्पादन से पहले किसी भी हिरासत आदेश के खिलाफ शिकायतों पर विचार करने की कोई शक्ति नहीं है। अदालतों के पास आवश्यक शक्ति है और जैसा कि ऊपर बताया गया है, उन्होंने उचित मामलों में इसका उपयोग किया है, हालांकि ऐसे मामले कम हो रहे हैं और जिन आधारों पर अदालतों ने निष्पादन-पूर्व प्रक्रम में उनमें हस्तक्षेप किया है, वे आवश्यक हैं- दायरा और संख्या बहुत सीमित है, अर्थात, जहां अदालतें प्रथम दृष्टया संतुष्ट हैं (i) कि विवादित आदेश उस अधिनियम के तहत पारित नहीं किया गया है, जिसके तहत इसे पारित किया जाना चाहिए, (ii) कि यह मांगा गया है किसी गलत व्यक्ति के विरुद्ध निष्पादित किया जाना, (iii) कि इसे गलत उद्देश्य के लिए पारित किया गया है, (iv) कि इसे अस्पष्ट, बाहरी और अप्रासंगिक आधारों पर पारित किया गया है या (v) कि इसे पारित करने वाले प्राधिकारी के पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। किसी भी अन्य आधार पर निष्पादन से पहले हिरासत के आदेशों में हस्तक्षेप करने के लिए न्यायिक समीक्षा की अपनी असाधारण शक्तियों का उपयोग

करने से अदालतों द्वारा इनकार करना और प्रश्नगत कानून का विकृत होना उक्त शक्ति का परित्याग या प्रस्तावित हिरासत से इनकार करने के समान नहीं है, बल्कि उनके दुरुपयोग को रोकता है।

दूसरे प्रश्न पर न्यायालय को यह कहना था:

उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, विभिन्न कारणों से इस प्रश्न का उत्तर दृढ़ता से नकारात्मक होना चाहिए। पहले उदाहरण में, जैसा कि पहले कहा गया है, संविधान और उसके तहत बनाए गए वैध कानून इसके लिए कोई प्रावधान नहीं करते हैं। दूसरी ओर, वे बंदी को आदेश और आधार बताए बिना किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और हिरासत की अनुमति देते हैं। दूसरे, जब आदेश और आधार की तामील हो जाती है और बंदी इस स्थिति में होता है: प्रथम दृष्टया सीमित आधार बनाएं जिस पर उन्हें सफलतापूर्वक चुनौती दी जा सके, तो अदालतों के पास, जैसा कि पहले बताया गया है, यहां तक कि शक्ति भी है कि बंदी को उसकी याचिका की अंतिम सुनवाई होने तक जमानत दे सके। वैकल्पिक रूप से, जैसा कि पहले कहा गया है, न्यायालय आवश्यक राहत देने के लिए ऐसी याचिका पर शीघ्रता से सुनवाई कर सकता है और करता भी है। तीसरा, ऐसे दुर्लभ मामलों में जहां हिरासत में लिए गए लोगों को, उनके साथ सेवा किए जाने से पहले, हिरासत आदेश और उन आधारों के बारे में पता चलता है जिन पर आदेश

बनाया गया है, और उचित पुष्टि द्वारा उनके अस्तित्व के बारे में न्यायालय को संतुष्ट करता है, न्यायालय इनकार नहीं करता है ऊपर बताए गए बहुत ही सीमित आधारों पर, निश्चित रूप से, निष्पादन-पूर्व चरण में भी रिट याचिका पर विचार करें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय ऐसे मामलों में भी वह उस चरण में विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य नहीं है और वह इस बात पर जोर दे सकता है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को पहले इसके प्रति समर्पण करना चाहिए। हालाँकि, यह प्रत्येक मामलों के तथ्यों पर निर्भर करेगा। ऊपर उद्धृत निर्णय और आदेश दिखाते हैं कि कुछ वास्तविक/सही मामलों में, न्यायालयों ने निष्पादन-पूर्व चरण में अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है, हालांकि ऐसे मामले दुर्लभ हैं। यह केवल इस तथ्य पर जोर देता है कि अदालतों के पास शक्ति है कि निष्पादन से पहले के प्रक्रम में भी हिरासत के आदेशों में हस्तक्षेप करे, लेकिन वे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं हैं और न ही यह उनके लिए उचित होगा। उन्हें साधारण मामलों में ऐसा करने से बचना चाहिए। एक बंदी न्यायालय की शक्ति के ऐसे प्रयोग को अधिकार के रूप में तो बिल्कुल भी दावा नहीं कर सकता। यह न्यायालय का मामला है और इसे सुस्थापित सिद्धांतों के आधार पर न्यायिक रूप से लागू किया जाना चाहिए।

वर्तमान मामले में, अधिकारियों ने रिट याचिका में उल्लिखित तथ्यों की पुष्टि या खंडन करने वाला कोई जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया

और न ही वे प्रस्तावित हिरासत के आधार, यदि कोई हो, का खुलासा करने या यहां तक कि संकेत देने के लिए आगे आए। उच्च न्यायालय में विद्वान एकल न्यायाधीश ने संक्षिप्त आधार पर रिट याचिका कि, याचिका में बताए गए तथ्यों पर, वर्तमान मामला प्रथम दृष्टया अधिनियम में परिभाषित अभिव्यक्ति जी 'तस्करी' के दायरे में आता है, बर्खास्त कर दिया। खंडपीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची कि याचिका में उल्लिखित परिस्थितियां 'तस्करी' का गठन करने के लिये पर्याप्त नहीं थीं, फिर भी, न्यायालय ने यह विचार किया कि बिना हिरासत के आधार पर अदालतों के लिए हिरासत के आदेश की वैधता या अन्य पर गौर करना या कोई घोषणा करना उचित नहीं होगा कि आक्षेपित आदेश उस अधिनियम के तहत पारित नहीं किया गया है जिसके तहत यह प्रस्तावित है कि इसे पारित किया गया है या इसे गलत उद्देश्य से पारित किया गया है या अस्पष्ट, बाहरी या अप्रासंगिक आधारों पर पारित किया गया है।

हमने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री अशोक सेन और प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री सुब्बा राव को काफी विस्तार से सुना है। श्री अशोक सेन का तर्क है कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि उसकी गतिविधियाँ 'तस्करी' नहीं हैं, इसलिए हिरासत आदेश को सीधे रद्द कर देना चाहिए। वह बताते हैं कि अधिकारियों द्वारा विचाराधीन माल का सीमा शुल्क के लिए मूल्यांकन किया गया था

और शुल्क के उचित भुगतान के लिए एक बांड के निष्पादन पर सीमा शुल्क क्षेत्र से उनकी निकासी का आदेश दिया गया था। विभिन्न शब्दकोशों और निर्णयों में 'तस्करी' की परिभाषाओं का हवाला देते हुए तर्क देते हैं कि यह सुझाव देना हास्यास्पद है कि याचिकाकर्ता 'तस्करी' या उसके लिए उकसाने का दोषी है। प्रथम दृष्टया, कोई यह कह सकता है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के इस तर्क में काफी दम है कि उन सामानों की कोई तस्करी नहीं हो सकती है जो खुले तौर पर आयात किए गए हैं, सीमा शुल्क अधिकारियों को घोषित किए गए हैं और ड्यूटी पर मूल्यांकन के बाद उन्हें मंजूरी दे दी गई है। हालाँकि, हम शब्द के शब्दकोश अर्थ पर नहीं जा सकते क्योंकि अधिनियम में एक परिभाषा खंड है जो शब्द के लिए वही अर्थ अपनाता है जो सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2(39) में है। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2(39) 'तस्करी' को इस प्रकार परिभाषित करती है। किसी भी सामान के संबंध में "तस्करी" का मतलब कोई भी कार्य या चूक है जो ऐसे सामान को धारा 111 या धारा 113 के तहत जब्त करने के लिए उत्तरदायी बना देगा।

धारा 111, अन्य बातों के साथ-साथ, घोषणा करती है कि निम्नलिखित सामान जब्त किए जाने योग्य होंगे।

(जे) उचित अधिकारी की अनुमति के बिना या ऐसी अनुमति की

शर्तों के विपरीत किसी भी शुल्क योग्य सामान को गोदाम से हटा दिया गया या हटाने का प्रयास किया गया।

उक्त अधिनियम की धारा 2(43) में 'वेयरहाउस' की परिभाषा शामिल है, जो इस प्रकार है।

'वेयरहाउस' का अर्थ धारा 57 के तहत नियुक्त सार्वजनिक गोदाम या धारा 58 के तहत लाइसेंस प्राप्त निजी गोदाम है।

इसमें प्रकट किये गये तथ्यों से भी यह स्पष्ट है। याचिका में कहा गया है कि अधिकारियों का मामला यह हो सकता है कि याचिकाकर्ता ने आयात माल को उचित अधिकारी की अनुमति के बिना सीमा शुल्क विशेषाधिकार गोदाम से हटाने के लिए उकसाया है। निःसंदेह तब कोई तस्करी नहीं हो सकती, यदि माल गोदाम के लिए किसी याचिकाकर्ता द्वारा नहीं निकाला गया हो, बल्कि याचिकाकर्ता के सुझाव के अनुसार कोई अन्य या संरक्षक अधिकारियों द्वारा निकाला गया, लेकिन यह तथ्य का प्रश्न होगा और वर्तमान तर्क के प्रयोजनों के लिए यह मानना होगा कि माल को याचिकाकर्ता या कंपनी द्वारा उचित अधिकारी की बिना अनुमति के गोदाम से हटा दिया गया है। ऐसी स्थिति में, संबंधित धाराओं का एक सरल पाठ प्रथम दृष्टया यह कहने के लिए पर्याप्त है कि, वर्तमान मामले में, कंपनी द्वारा तस्करी की गई है, और याचिकाकर्ता द्वारा तस्करी को बढ़ावा दिया

गया है। तथ्यों के व्यापक परिप्रेक्ष्य और प्रासंगिक क़ानून में विशेष परिभाषा खंडों पर यह कहना मुश्किल है कि इस मामले में प्रस्तावित हिरासत क़ानून प्रावधानों से पूरी तरह बाहर है। यदि प्रथमदृष्ट्या, तस्करी या तस्करी के लिए उकसाने का मामला सामने आता है, तो सक्षम प्राधिकारी हिरासत आदेश जारी करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसे बाद में उपलब्ध किसी भी आधार पर गुण-दोष के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि यह कार्रवाई क़ानून का घोर उल्लंघन है या यह आदेश उस क़ानून के प्रावधानों के तहत नहीं बनाया गया है जिसके तहत इसे कथित तौर पर जारी किया गया है।

याचिकाकर्ता द्वारा बताए गए विरल तथ्यों पर प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के प्रत्यक्ष प्रभाव को महसूस करते हुए, श्री अशोक सेन ने हमारे सामने विस्तृत दलीलें दीं, जिन्हें उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच का समर्थन मिला, ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि कथित तथ्य वर्तमान प्रकरण में वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते। उनके अनुसार धारा 111 (जे) केवल उस मामले में परिचालन में आता है, जहां कोई शुल्क माल पर निर्धारित नहीं किया गया है और माल को गोदाम में सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 49 के प्रावधानों के तहत सीमा शुल्क से मंजूरी लंबित रहने के दौरान जमा करने की अनुमति है। उनका कहना है कि ऐसे मामले में वैधानिक अधिकारियों की अनुमति के बिना माल को हटाना तस्करी के

समान होगा क्योंकि ऐसे में आयात की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। ऐसे में भी माल स्पष्ट रूप से शुल्क से बच गया होगा क्योंकि धारा 72 के प्रावधान ऐसे मामले में लागू नहीं होते हैं जहां माल धारा 49 के तहत गोदाम में रखा जाता है। ऐसे मामले में श्री अशोक सेन कहते हैं कि तस्करी की वैधानिक अवधारणा पूरी तरह से लागू होगी लेकिन, उसका कहना है कि इसका ऐसे मामले में कोई उपयोग नहीं हो सकता, जहां सीमा शुल्क अधिकारियों की अनुमति से सीमा शुल्क क्षेत्र से माल निकाला जाता है। इस प्रकार में मामले में, आयात की प्रक्रिया पूरी हो गई है: देखें, वाणिज्यिक कर उपायुक्त बनाम मैसर्स केलटेक्स(इंडिया) लिमिटेड, एआईआर 1962 मद्रास 298. और इसके बाद कोई तस्करी नहीं हो सकती। भले ही माल को सीमा शुल्क विशेषाधिकार गोदाम से गुप्त रूप से हटा दिया गया हो, शुल्क से कोई मुक्ति नहीं है, क्योंकि शुल्क को उस शुल्क की दोगुनी राशि के लिए एक बांड द्वारा पर्याप्त रूप से सुरक्षित किया जाता है जिसके साथ माल प्रभार्य है। ऐसे मामलों में विभाग का एकमात्र उपाय धारा 72 के तहत शुल्क आदि की वसूली है और ऐसे मामलों में माल की जब्ती की अनुमति नहीं है। दरअसल, भारतीय संघ बनाम जैन शुद्ध वनस्पति लिमिटेड, 1992 -1 स्केल 34 में 10 ई.एल.टी.43 (दिल्ली) की पुष्टि के तहत धारा 47 के तहत सीमा शुल्क क्षेत्र से निकासी के बाद माल की कोई जब्ती नहीं हो सकती है। इन अवधारणाओं के प्रकाश में उनका आग्रह है

कि धारा 111 (जे) का दायरा उन वस्तुओं तक सीमित होना चाहिए जो शुल्क योग्य हैं और जिनके संबंध में कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है और उन्हें, एक गोदाम जहां उन्हें शुल्क के मूल्यांकन के लंबित रहने तक रखा जाता है, से हटा दिया जाना चाहिए।

हमारा मानना है कि ये तर्क दिलचस्प हैं, इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। धारा 111 (जी) में निहित प्रावधान पर वकील द्वारा रखी गई व्याख्या अनावश्यक रूप से संकीर्ण है और शब्द जो वहां नहीं हैं, उसकी स्पष्ट भाषा में आयात करती है। "शुल्क योग्य वस्तुओं" को "शुल्क योग्य वस्तुओं" तक सीमित करने का कोई औचित्य नहीं है, जिन पर अभी तक शुल्क का निर्धारण नहीं किया गया है। खंड में संदर्भित "वेयरहाउस" का सुझाव एक गोदाम के रूप में समझा जाना चाहिए, जहां धारा 49 के तहत सामान निकाला जाता है, लेकिन धारा 59 के अनुसरण में जिन वस्तुओं को लिया जाता है, वो मतलब लेना आधारहीन है और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2(43) में निर्धारित उस अभिव्यक्ति की व्यापक परिभाषा को नजरअंदाज करता है।

श्री सेन ने धारा 111 (जे) के दायरे को सीमित करने की अपनी याचिका के समर्थन में तीन विचारों का आग्रह किया है। पहला यह है कि 'आयात' का संचालन एक बार समाप्त हो जाता है जब माल पर सीमा

शुल्क का मूल्यांकन किया जाता है और सीमा शुल्क क्षेत्र से मंजूरी दे दी जाती है और उसके बाद ऐसे सामानों के संबंध में 'तस्करी' की अवधारणा का कोई अर्थ नहीं हो सकता है। यह काफी सही नहीं है। तस्करी की सामान्य अवधारणा में भी दो तत्व शामिल हैं: एक, उन वस्तुओं को भारत में लाना जिनका आयात निषिद्ध है; और दो, उन वस्तुओं को देश की व्यापार धारा में लाना, जिनके आयात की अनुमति उन सीमा शुल्कों का भुगतान किए बिना दी जाती है, जिन पर वे प्रभार्य हैं। हमारे विचार में, दूसरी घटना न केवल वहां हो सकती है जहां शुल्क के निर्धारण से बचकर कोई आयात हो रहा है, बल्कि वहां भी हो सकता है जहां निर्धारित शुल्क के भुगतान के बिना गुप्त रूप से हटाया जा रहा है। ऐसे मामले में जहां माल धारा 49 के तहत गोदाम में रखा गया है और उन्हें गुप्त रूप से हटा दिया गया है, वहां 'तस्करी' होगी क्योंकि उस पर देय शुल्क पूरी तरह से चुरा लिया गया है। लेकिन ऐसे मामले में भी जहां माल पर शुल्क लगाया जाता है और उसे धारा 59 के तहत गोदाम में रखने की अनुमति दी जाती है, वहां भी गुप्त तरीके से हटाने से शुल्क में नुकसान का परिणाम हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 72 में शुल्क की वसूली और शुल्क के उचित भुगतान को सुरक्षित करने के लिए दिए गए बांड को जब्त करने का प्रावधान है, लेकिन यदि माल बिना अनुमति के ले जाया जाता है तो यह हमेशा राजस्व के लिए पर्याप्त कवर नहीं हो सकता है। केवल यह

तथ्य कि शुल्क के निर्धारण के बाद माल को स्पष्ट रूप से गोदाम में भेज दिया गया है, ऐसे मामले में भी तस्करी की अवधारणा की प्रयोज्यता को नहीं रोकता है। एक अर्थ में, आयात को कुछ उद्देश्यों के लिए पूर्ण कहा जा सकता है, उदाहरण के लिए बिक्री कर उद्देश्य, जैसा कि उप सी.सी.टी. बनाम कैल्टेक्स (इंडिया) लिमिटेड, एआईआर 1962 मद्रास 298 में कहा गया कि सीमा शुल्क बैरियर पर कर्तव्यों के मूल्यांकन के बाद उनकी निकासी की गई, लेकिन यह वास्तविक अर्थों में पूर्ण नहीं है। यहां तक कि जिस गोदाम में माल को धारा59 के तहत हटाने की अनुमति है, जो कि सीमा शुल्क अधिकारियों के ताले व चाबी में एक परिसर है, एक अर्थ में, सीमा शुल्क क्षेत्र का एक विस्तार है। घरेलू उपभोग या निर्यात के लिए वहां से सामान निकाला जा सकता है, केवल शुल्क के भुगतान के बाद जब तक ऐसा नहीं किया जाता, देय शुल्क से राज्य को होने वाली हानि का जोखिम हमेशा बना रहता है, इसलिए जिस दृष्टि से हमारा संबंध है, उस दृष्टि से आयात तब तक पूरा नहीं कहा जा सकता। ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमें धारा 111 (जे) को रीड डाउन करना चाहिए जो केवल इस स्थिति को पहचानता है।

श्री सेन द्वारा उठाया गया दूसरा बिंदु यह है कि जहां किसी गोदाम से सामान जो धारा 59 के तहत रखा हो, को बिना संबंधित प्राधिकारियों की अनुमति के हटा दिया जाता है, का एकमात्र परिणाम धारा 72 के तहत

कार्रवाई हो सकता है। उनके मुताबिक, ऐसे मामलों में धारा 125 के तहत जुर्माना नहीं लगाया जा सकता और बिना अनुमति के हटाया गया सामान जब्त नहीं किया जा सकता। उनका आग्रह है कि एक प्रावधान, जिसके उल्लंघन के लिए कोई जुर्माना या जब्ती नहीं हो सकती है, को निवारक निरोध का कठोर उपाय के रूप में उचित ठहराते हुए नहीं पढ़ा जाना चाहिए। उनके तर्कों के समर्थन में मामले के इस भाग पर, विद्वान वकील ने शेवपूजनराय इंद्रासनराय लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क और अन्य कलेक्टर, (1959) एससीआर 821 में इस न्यायालय के फैसले पर दृढ़ता से भरोसा किया। हम इस विवाद में कोई ताकत नहीं देख पा रहे हैं। किसी विशेष कार्य या चूक के परिणाम प्रश्नगत वैधानिक प्रावधानों पर निर्भर होंगे। हो सकता है कि याचिकाकर्ता के कृत्य का वर्तमान मामले में पहले की तरह धारा 125 लागू नहीं हो सकती है, लेकिन अब 27.12.1985 से लागू होकर धारा 125(2) के मद्देनजर जुर्माना लगाया जाएगा। यह भी धारा 72 को आकर्षित कर सकता है, लेकिन यह, 111 (जे) की व्याख्या के लिए निर्णायक नहीं हो सकता है। वकील द्वारा संदर्भित निर्णय में जो समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 के तहत उत्पन्न हुआ, तस्करी के सामान को जब्त कर लिया गया और इसके अलावा, तस्कर को माल पर शुल्क का भुगतान करने के लिए बुलाया गया था। न्यायालय ने माना कि आयात शुल्क लगाने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि उस मामले के तथ्यों को

समटने वाला कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है, जो इस तरह की लेवी को सक्षम बनाता हो। यह निर्णय प्रस्ताव अन्तर्गत धारा 111 (जे) के लिए कोई अधिकार नहीं रखता है। उस मामले में अनुपयुक्त है, जहां पर धारा 72 लागू होती है। भले ही कोई यह मान ले कि धारा 72 वहां लागू नहीं होगी जहां सामान जब्त किया गया है, स्थिति केवल यहीं तक पहुंचती है, कि अधिकारियों को सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, एक तरफ सामान को जब्त करने या दूसरी तरफ देय शुल्क इकट्ठा करने के बीच चयन करना होगा। धारा 111 (जे) की भाषा को ध्यान में रखते हुए, वकील से सहमत होना संभव नहीं है कि, ऐसे मामले में, सामान केवल इसलिए जब्त करने योग्य नहीं है क्योंकि धारा 72 का एक वैकल्पिक तरीका उनके लिये उपलब्ध है।

श्री सेन द्वारा बताया गया तीसरा बिंदु यह है कि एक बार सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा माल को मंजूरी दे दी जाती है; जब तक उचित कार्यवाही में मंजूरी देने वाले आदेश को उलट नहीं दिया जाता, तब तक वे जब्ती के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। वह इस प्रस्ताव के लिए भारत संघ बनाम जैन शुद्ध वनस्पति, (1992 - 1 स्केल 34} पर भरोसा करते हैं, जो जैन शुद्ध वनस्पति लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, (1982) 10 ई.एल.टी. 43(दिल्ली) (हममें से एक पक्ष था) मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि करता है। हमारे सामने इस बात पर कुछ

चर्चा हुई कि क्या इस न्यायालय ने उपरोक्त बिंदु पर उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की है या निर्णय के पैरा 4 में इसे खुला छोड़ दिया है। हमें नहीं लगता कि हमारे लिए इस विवाद में पड़ना जरूरी है। वह एक ऐसा मामला था, जहां इस दलील को स्वीकार करते हुए माल को पूरी तरह से मंजूरी दे दी गई थी कि उनका आयात निषिद्ध नहीं था। उच्च न्यायालय ने माना कि जब तक यह स्वीकृति कायम है, तब तक सामान जब्त नहीं किया जा सकता। हमे यहां इस सवाल को देखना है कि क्या सामान धारा 111 (जे) के तहत जब्त किया जा सकता है और उक्त धारा की भाषा को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक दिया जाना चाहिए। यहां यह निष्कर्ष कि माल जब्त किया जा सकता है, निकासी के आदेश के प्रभाव से पीछे नहीं हटता है या उसकी अनदेखी नहीं करता है, जैसा कि उस मामले में होता है। यह निकासी के तथ्य को स्वीकार करता है और इस आधार पर आगे बढ़ता है कि माल को धारा 59 के तहत सही ढंग से मंजूरी दे दी गई है, धारा 59 के अर्थ के तहत गोदाम से गुप्त रूप से हटा दिया गया है। विद्वान वकील द्वारा उद्धृत निर्णय, इसलिए उसे सहायता नहीं करता है।

उपरोक्त चर्चा का निष्कर्ष यह है कि न्यायालय के समक्ष रखे गए और पहले संदर्भित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में, कंपनी की गतिविधि तस्करी की श्रेणी में आएगी और याचिकाकर्ता की गतिविधि तस्करी के लिए उकसाने

वाली होगी, यदि उन्होंने हटा दिया था, या कारण बनाया था या माल को संबंधित अधिकारी/प्राधिकारी की अनुमित के बिना सीमा शुल्क विशेषाधिकार गोदाम से हटाने के लिए उकसाया। प्रस्तावित हिरासत के आदेश को अधिनियम के प्रावधानों के लिए पूरी तरह से असंगत आधार पर आगे बढ़ने के लिए नहीं कहा जा सकता है और इसे उस अधिनियम के तहत नहीं किए गए आदेश के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है जिसके तहत इसे कथित तौर पर बनाया गया है और न ही यह कहा जा सकता है कि आधार हिरासत के मामले अस्पष्ट, अप्रासंगिक या अधिनियम के उद्देश्य या प्रावधानों से अप्रासंगिक हैं।

परिणाम, हम रिट याचिका को खारिज करने के उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हैं, हालांकि हम डिवीजन बेंच के तर्क को बरकरार नहीं रखते हैं। विशेष अनुमति याचिका, संयोगवश, खारिज कर दी गई है, लेकिन लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है।

एन.पी.वी.

याचिका खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक प्रियंका पिलानिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।